A481-II/07

(अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन के कारण न्यायशुल्क मुक्त)

माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक /2007 अपील

महादेव चर्मकार तनय श्री बुद्धा चर्मकार, निवासी ग्राम रहट तहसील हुजूर जिला रीवा। ------- अपीलान्ट

बनाम

1- शासन म०प्र०

2- चन्द्रवती बेवा तिलकधारी प्रसाद ब्राह्मण निवासी ग्राम रहट (रतेगी) तहसील हुजूर जिला रीवा (म०प्र०) ------ रेस्पोन्डेन्टस

श्री .... एड० द्वारा आज दि० 21-3-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

अपील न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा, प्र०क्र० 772/अपील/99-00 के आदेश दिनांक 11-12-06 के विरूद्ध प्रस्तुत।

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959।

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे निम्न प्रकार हैं :-

1- यह कि, आराजी नं० 293 रकवा 0.14 एकड़ स्थित मौजा रहट (रतोगी) तह० हुजूर जिला रीवा (म०प्र०) रेस्पो० क्र० 2 के भूमि स्वामित्व एव पट्टे की आराजियात थी उक्त आराजी की रेस्पो० क्र०2 से 16-17 वर्ष पूर्व 1800 रूपये मे अपीलान्ट के क्रय किया था। किन्तु उसकी लिखा - पढ़ी नही हुई थी।

2- यह कि, अपीलान्ट रेस्पो० क्र० 2 के यहाँ हमेशा वह मजदूरी करता था। इसलिए विश्वास वश रेस्पो० क्र०2 को रूपये 1800=00 दे दिया था तथा रेस्पो० क्र० 2 ने अपीलान्ट को उक्त विवादग्रस्त आराजीयात मे कब्जा दखल भी दे दिया था। अपीलान्ट रेस्पो० क्र० 2 को विश्वास के बदौलत दे दिया था तथा उक्त आराजी मे अपीलान्ट रहायसी मकान भी बना हुआ है तथा शेष रकवे मे निस्तार करता है। अपीलान्ट ने रेस्पो० क्र० 2 को कई बार रजिस्ट्री कराने के लिए रेस्पो० क्र० 2 अपीला॰ को कही भी ऋण-पुस्तिका वगैरह बैंक मे है। यदि बैंक ऋण - पुस्तिका की ऋण की अदायगी नही तो क्षति होगी।

--2

P.5.0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला – रीवा

प्रकरण कमांक अपील 481–तीन / 2007

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2015	प्रकरण वर्ष 2006 से प्रचलित है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पेशी दिनांक 28–11–13 अपीलार्थी स्वतः उपस्थित रहा। दिनांक 28–11–2013 से आज दिनांक तक अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। अतः अपलार्थी की प्रकरण में रूचि न लेने के आधार पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	